

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(9)स्था/मंत्रा/अभि/15/217-74 दिनांक :- 10-5-17

आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित लिपिक ग्रेड-प्रथम को सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैण्ड (2) 9300-34800 तथा ग्रेड पे न. (11) 3600/-में पदोन्नत किया जाता है।

क्र० स०	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	3	4	5	
1.	श्री निरंजन देव शर्मा पुत्र श्री किशन लाल	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
2.	श्री प्रेम रतन सुथार पुत्र श्री आसूराम सुथार	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	से०नि० दि० 31.1.17
3.	श्री शिवदत्त सिंह पुत्र श्री रूपदान	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
4.	श्री प्रभूनारायण शर्मा पुत्र श्री चौथमल	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
5.	श्रीमती दिव्यबाला पत्नी श्री प्रहलाद सोनी	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
6.	श्री चन्द्रप्रकाश माली पुत्र श्री माणकलाल	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
7.	श्री कमलसिंह मीणा पुत्र श्री धुडिया मीणा	एस०टी०	दिनांक 1.4.2016	
8.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री महावीर सोनी	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
9.	श्री राधेश्याम पंवार पुत्र श्री रतन लाल	एस०सी०	दिनांक 1.4.2016	से०नि० दि० 07.09.16
10.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
11.	श्री बनवारीलाल मील पुत्र श्री बालूराम जाट	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
12.	श्री विरेन्द्र सिंह पुरोहित पुत्र श्री भंवरसिंह	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	से०नि० दि० 30.6.16
13.	श्रीमती बसन्त कोर पत्नी श्री केशवदेव शर्मा	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
14.	श्री धनश्याम शर्मा पुत्र श्री केशवलाल	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	
15.	श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री भगवत प्रसाद	सामान्य	दिनांक 1.4.2016	से०नि० दि० 31.10.16

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों का पदोन्नति पर, पद रिक्ति की तिथि से काल्पनिक वेतन निर्धारण तथा कार्यग्रहण की तिथि से नकद लाभ देय होगा। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उक्त कार्मिकों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।



(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, प्रथम/द्वितीय, अभियोजन निदेशालय।
6. सम्बन्धित कार्मिक/निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली /समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

7/5/17  
निदेशक अभियोजन